

## उपायुक्त का कार्यालय (जिला राजस्व शाखा) गिरिडीह।

डुमरी अंचल के अन्तर्गत डुमरी (NH-02) फुसरो जैनामोड (NH-23) पथ (MDR-77 एवं 73) के 4 Lane निर्माण एवं उन्नयन कार्य हेतु Deemed Forest भूमि (जंगल-झाड़ी, जंगल सखुआ इत्यादि) के संबंध में अनापत्ती प्रमाण पत्र।

गैरमजरूआ Deemed Forest भूमि (जंगल-झाड़ी, जंगल सखुआ इत्यादि) भूमि जो निम्नवत है:-

क्र०	जिला का नाम	अंचल का नाम	मौजा	थाना नं.	खाता नं.	प्लॉट नं.	रकबा (एकड़ में)
1.	गिरिडीह	डुमरी	जामतारा	103	1	2722	0.224
2.	गिरिडीह	डुमरी	जमतारा	103	1	2899	0.049
3.	गिरिडीह	डुमरी	खाखीखुर्द	125	1	374	0.124
4.	गिरिडीह	डुमरी	घुटवाली	131	2	148	0.220
5.	गिरिडीह	डुमरी	घुटवाली	131	2	35	0.029
6.	गिरिडीह	डुमरी	घुटवाली	131	2	154	0.052
7.	गिरिडीह	डुमरी	घुटवाली	131	2	179	0.044
8.	गिरिडीह	डुमरी	मघगोपाली	132	2	1013	0.343
9.	गिरिडीह	डुमरी	मघगोपाली	132	2	1017	0.084
कुल -							1.169

किस्म भूमि जंगल-झाड़ी कुल रकबा 1.169 एकड़ में सन्नहित है। तथा अधिसूचित वन भूमि तथा संरक्षित वन भूमि एवं अन्य वन (Deemed Forest) भूमि से बाहर है, के अपयोजन हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जाय। पूर्वानुमति प्राप्त होने के पश्चात इसके विधिवत हस्तान्तरण हेतु प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा गैरमजरूआ भूमि का हस्तान्तरण के प्रस्ताव की प्रकिया की तरह प्रस्ताव समर्पित किया जायेगा। गैर मजरूआ जंगल झाड़ी (Deemed Forest) भूमि के सशुल्क हस्तान्तरण/लीज बन्दोबस्ती हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा राज्यादेश निर्गत किया जायेगा।

उपायुक्त, गिरिडीह।

ज्ञापांक 778 / रा. दिनांक 28/03/2017.

प्रतिलिपि:- कार्यपालक अभियन्ता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, गिरिडीह को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सरकार के सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सरकार के सचिव, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी एन.आई.सी. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। कृपया जिला के Website पर अपलोड करना सुनिश्चित किये जाय।

उपायुक्त, गिरिडीह।